कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हनुमानगढ

कार्यालय –आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश कंमाक शिविरा–मा/संस्था /एफ–I/12102/शा0शि0 ग्रेड III /सी.भ/एज.जे/2013–16 दिनांक 2.02.2018 एवं शासन के पत्रांक प.17(390)माध्य/शिक्षा–2/वि0प्र0/2016 दिनांक 22.6.2017 एव 27.06.2017 के द्वारा अनुपालना स्वीकृति जारी किये की पालना मे संलग्न सूचि के अनुसार आरपीएससी अजमेर से आरक्षित सूची से चयनित आशार्थियों को इस कार्यालय मे राज्य सरकार के पंत्राक प. 17 (4)शिक्षा–2/2009 दिनांक 29. 3.2016 के पार्ट बी मे वर्णित निर्देश संख्या 01 से 09 के अनुसार दिनांक 22.11.2017 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर तृतीय वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर वेतनमान राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 के शडुल 4 के वर्णित प्रावधानो के अन्तर्गत **पे मैट्रिक लेवल एल–10** मे दो वर्ष के प्रोबेशन ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के लिए नियम मानदेय 23700/–रूपये प्रतिमाह पर नियुक्त किया जाता है । संबंधित संस्था प्रधान इन्हे कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुयो की पूर्ति पूर्ण करवाने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवावें–

1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट व सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । पूर्व मे राजकीय सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा ।

2 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कंमाक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 8.4.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.6.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न संतानो के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र रू0 50/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।

3 राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है ।अतः जिन अभ्यर्थियों की योग्यता राज्य के बाहर की संस्थायों से अर्जित है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थायों से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है । अतः कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से रू0 50/ के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व मे प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत यह नियुक्ति निरस्त करने व उनके विरूद्व कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

4 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन मे लगी फोटो से मिलान कर यह सुनिशचितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र है जिसका आवेदन फार्म पर फोटो चस्पा है ।

5 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र प्राप्त करे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनांए एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटीपूर्ण जाली अथवा कुटरचित पाए जाने दशा मे उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

6 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कंमाक प.7 (3)कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 4.10.2013 के अनुसार धुम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबृद्वता निर्धरित प्रपत्र मे प्राप्त की जावे ।

7 प्रोबेशन अवधि मे इन्हे स्थिर मानदेय देय होगा । अन्य भत्ते देय नही होगे ।पूर्व मे सेवारत कार्मिक अपने पूर्व पद के वेतन का विकल्प दे सकतें है ।

8 एक कलैन्डर वर्ष मे 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश देय होगा ।पूर्ण वर्ष न होने की स्थिति मे आनुपातिक गणना करे । अन्य किसी प्रकार के अवकाश देय नही होगे ।प्रसूति व पितृत्व अवकाश नियमानुसार देय होगें ।

9 स्थिर मानदेय से नियमानुसार एनपीएस की कटौती की जावे ।

10 इन अभ्यर्थियों को दिनांक **28.02.2018** तक अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा कार्यग्रहण निर्धारित दिनांक तक नही करने पर यह आदेश स्वतःही निरस्त समझे जावेगे ।

11 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों की जांच (शैक्षिक प्रशैक्षिक जाति प्रमाण पत्र खेल प्रमाण पत्र आदि)मूल प्रमाण पत्रों से कर लेवे । मिलान मे भिन्न स्थिति पाए जाने की दशा मे पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण इस कार्यालय को लौटावें ।

क्र. सं.	मेरिट कमांक	नाम आशार्थी मय पिता का नाम एवं स्थाई पता	वर्ग	जन्मतिथि	चयन वर्ग	विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थान
1	R-1198	नरेन्द्र कुमार मीणा / श्री बाबूलाल मीणा ग्राम कनाडा पोस्त तिमाया वाया सीसवाली तहःमांगरोल जिला बारॉ राजस्थान	ST	25-12-85	STM	राउमावि. कोहला,हनुमानगढ

(हरलाल सिंह) 12-2-18
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक हनुमानगढ

कमांक–जिशिअ / मा / हनु / संस्था II / 2017 / नियुक्ति / शा0शि0III / **दिनांक**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत –

1 श्रीमान शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग राज0 जयपुर
2 श्रीमान शासन सचिव कार्मिक (क–2)विभाग राज0 जयपुर
3 श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राज0 बीकानेर
4 श्रीमान उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर मंडल बीकानेर
5 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा हनुमानगढ।
6 संबंधित ब्लॉक प्रा.शि. अधिकारी ....
7 संबंधित संस्था प्रधान..
8 संबंधित अभ्यर्थी...
9 कार्यालय प्रति

12-2-18
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक हनुमानगढ